

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री आर्गेनिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ए-306, इन्दिरानगर, लखनऊ ।
प्रार्थना पत्र संख्या व 054 / 14, 13.11.2014
दिनांक
प्रार्थी की ओर से श्री अजय कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री आर्गेनिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ए-306, इन्दिरानगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 13.11.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं पर प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुसार दिये गये product composition के दृष्टिगत कर की दर के विनिश्चय का अनुरोध किया गया है :-

- a. Tulsi Ginger
 - b. Tulsi Sweet Rose
 - c. Tulsi Honey Chamomile
 - d. Wheat Grass
2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अजय कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि Tulsi Ginger, Tulsi Sweet Rose एवं Tulsi Honey Chamomile में तुलसी को मुख्य अवयव (Ingredients) के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा इसके अलावा अन्य वस्तुओं को जैसे-Tulsi Ginger में Ginger, Tulsi Sweet Rose में Pippermint, गुलाब की पेंखुड़ी, Chamomile, Stevia, Cardamom एवं Egyption Rose Flavor को विभिन्न Ratio में मिश्रित करते हुए तैयार किया जाता है । इसी प्रकार Tulsi Honey Chamomile के अन्तर्गत Rama, Krishna व Vana Tulsi के अतिरिक्त Fennel एवं Honey flavour का मिश्रण होता है, तथा उक्त क्रमांक-1 से 3 पर अंकित वस्तुओं को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-57 अथवा प्रविष्टि संख्या-122 जो निम्नवत है, के अन्तर्गत वर्गीकृत माना गया है :-

प्रविष्टि संख्या-57

Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari booti and dry flower.

प्रविष्टि संख्या-122

Tea of all kind like white, yellow green, oolong (or Wulong) black, red, post-fermented etc. or any other form of Tea prepared or processed with leaves.

इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त तीन श्रेणी की वस्तुओं को ग्राहकों द्वारा चाय की भाँति प्रयोग की जाती है इसलिए उक्त प्रविष्टि संख्या-122 से आच्छादित होनी चाहिए, तथा उक्त में जड़ी-बूटी के रूप में मुख्य अवयव के रूप में तुलसी के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है । अतः यह वस्तुएं उक्त प्रविष्टि संख्या-57 से आच्छादित होनी चाहिए ।

सर्वश्री आर्गेनिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड / प्रा0 पत्र सं0-054 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-2

उक्त क्रमांक-4 पर अंकित वस्तु Wheat Grass के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि गेहूँ के पौधे के Green Spurt को पाउडर के रूप में तैयार करके इसकी पैकिंग की जाती है। अतः उक्त क्रमांक-4 पर अंकित वस्तु को प्रविष्टि संख्या-57 से जड़ी-बूटी के रूप में आच्छादित होने का तर्क दिया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-2439, दिनांक 08.01.2015 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा प्रश्नगत प्रोडक्ट को एक निराला मिश्रण के रूप में तैयार करके एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, इसे टी बैग में भरकर अथवा पैक करके बिक्री किया जाता है जो कि न तो चाय ही रह जाता है और न ही जड़ी-बूटी। जिसे किसी भी शेड्यूल में वर्गीकृत नहीं किया गया है और इसे कोई भी व्यक्ति शौकीनी तौर पर अथवा रोजमर्रा की जिन्दगी में पेय के रूप में प्रयोग करता है अथवा कर सकता है। अतः किसी भी शेड्यूल में वर्गीकृत न होने के कारण इस पर 12.5% की दर से कर तथा 1.5% की दर से अतिरिक्त कर (सैट) की देयता होगी।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न से आच्छादित वस्तुएं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-122 के अनुसार चाय की पत्तियों के प्रकार के मिश्रण से तैयार नहीं की जाती क्योंकि इनके Ingredients में Tea Leaves की Blending नहीं होती। जहाँ तक प्रार्थी ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-57 से भी आच्छादित करने का प्रयास किया गया है, प्रश्न से आच्छादित वस्तुएं commonly known as jari booti के रूप में न तो जानी जाती हैं न ही पहचान की जाती हैं, तथा इनका प्रयोग गर्म पानी में Dip करने पर सम्बन्धित Ingredients के Essence पेय में सम्मिलित होकर पीने वालों को ताजगी देते हैं जबकि जड़ी-बूटी को सामान्य रूप से भिन्न नाम से एवं भिन्न प्रयोग के आधार पर उक्त प्रविष्टि से आच्छादित नहीं होती, तथा ये वस्तुएं उक्त प्रविष्टि संख्या-57 के अनुरूप Dry Flower की श्रेणी में भी नहीं आतीं। जहाँ तक Wheat Grass पर करदेयता के विनिश्चय का बिन्दु उठाया गया है, इस सम्बन्ध में Wheat Grass उपरोक्तानुसार न तो प्रविष्टि संख्या-122 के अनुसार ही Tea of all kind like white, yellow green, oolong (or Wulong) black, red, post-fermented etc. or any other form of Tea prepared or processed with leaves., की श्रेणी में आयेगा न ही प्रविष्टि संख्या-57 के अनुसार Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari booti and dry flower., की श्रेणी में आयेगा बल्कि Wheat Grass एक प्रकार का Food है जो सामान्य प्रकार के गेहूँ के पौधे के Cotyledons (बीज पत्रों) से तैयार किया जाता है जो कि जूस या पाउडर के रूप में बिकता है जिसके अन्तर्गत क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, मिनिरल, विटामिन्स एवं इनजाइम्स होते हैं जो कि Nutrition Supplements के रूप में लिये जाते हैं। अतः ये वस्तुएं उक्त दोनो प्रविष्टि संख्या-57 एवं 122 से आच्छादित न होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेय होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1,

सर्वश्री आर्गेनिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड / प्रा0 पत्र सं0-054 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-3

वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त क्रमांक-1 से 3 में अंकित वस्तुएं-Tulsi Ginger, Tulsi Sweet Rose एवं Tulsi Honey Chamomile उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-122 से आच्छादित नहीं हो सकती क्योंकि सम्बन्धित प्रविष्टि ऐसी चाय के लिए है जो Tea Plant के विभिन्न प्रकार के leaves की Blending के फलस्वरूप बनायी जाती है। चूंकि उपरोक्तानुसार तैयार किये गये तुलसी के साथ अन्य वस्तुओं के मिश्रण होने के कारण सम्बन्धित वस्तु प्रविष्टि संख्या-122 से आच्छादित नहीं हो सकती क्योंकि Tulsi Ginger के पैकेट पर इस वस्तु के निर्माण में Krishna Tulsi, Vana Tulsi एवं Rama Tulsi के साथ Ginger के मिश्रण से तैयार पेय होता है जिसे पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से Tulsi Sweet Rose में उपरोक्तानुसार वर्णित तुलसी के विभिन्न किस्म के अतिरिक्त Rose Petals, Peppermint, Stevia, Cardamom और Chamomile के अलावा Egyption Rose Flavor को मिलाकर तैयार किये गये मिश्रण को पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। Tulsi Honey Chamomile में उपरोक्तानुसार तुलसी के विभिन्न किस्मों के साथ-साथ Chamomile एवं Fennel के अलावा Honey flavor भी मिला होता है। पुनः यह भी उल्लेखनीय है कि ये वस्तुएं जड़ी-बूटी के रूप में भी नहीं कही जा सकती क्योंकि उक्त प्रविष्टि संख्या-57 के अन्तर्गत वर्गीकृत Herb, bark, dry plant, dry root, को सम्मिलित किया गया है जिन्हें सामान्य बोल-चाल की भाषा में जड़ी-बूटी कहा जाता है, के साथ-साथ dry flower को इस प्रविष्टि से आच्छादित माना गया है। इस प्रविष्टि में अंकित Herb, bark, dry plant, dry root जड़ी-बूटी के समानार्थी हैं, तथा इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रविष्टि में इन वस्तुओं को सामान्य बोल-चाल की भाषा में जड़ी-बूटी का नाम देते हुए सम्मिलित किया गया है। जहाँ तक Wheat Grass पर करदेयता के विनिश्चय का बिन्दु उठाया गया है, इस सम्बन्ध में Wheat Grass उपरोक्तानुसार न तो प्रविष्टि संख्या-122 के अनुसार ही Tea of all kind like white, yellow green, oolong (or Wulong) black, red, post-fermented etc. or any other form of Tea prepared or processed with leaves., की श्रेणी में आयेगी न ही प्रविष्टि संख्या-57 के अनुसार Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari booti and dry flower., की श्रेणी में आयेगी बल्कि Wheat Grass एक प्रकार का Food है जो सामान्य प्रकार के गेहूँ के पौधे के Cotyledons (बीज पत्रों) से तैयार किया जाता है जो कि जूस या पाउडर के रूप में बिकता है जिसके अन्तर्गत क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, मिनिरल, विटामिन्स एवं इनजाइम्स होते हैं जो कि Nutrition Supplements के रूप में लिये जाते हैं। प्रार्थी द्वारा जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में जिनके Composition / Ingredients के बारे में उपरोक्तानुसार अंकित करते हुए विवेचित किया गया है ये वस्तुएं उक्त प्रविष्टि संख्या-57 के अन्तर्गत commonly known as jari booti के रूप में नहीं जानी जाती हैं बल्कि एक विशेष प्रकार की पेय होती है जिसे गर्म पानी में Dip करते हुए उक्त प्रविष्टि संख्या-57 एवं 122 से भिन्न रूप में प्रयुक्त की जाती है, तथा सामान्य बोल-चाल की भाषा में अथवा Test of Buyer / Seller के सिद्धान्त के अनुसार क्रेता / विक्रेता इसे न तो चाय के रूप में पहचानते हैं न ही जड़ी-बूटी के रूप में। अतः कर सम्बन्धी

सर्वश्री आर्गेनिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड / प्रा० पत्र सं०-054 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-4

प्राविधानों की व्याख्या में दिये गये प्राविधान में जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसका वही अर्थ लिया जाना चाहिए, अपनी तरफ से न तो कोई शब्द जोड़ना चाहिए और न ही कुछ घटाना चाहिए।

प्रश्नगत प्रकरण Common Parlance Test पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कलेक्टर ऑफ कस्टम बॉम्बे बनाम स्वास्तिक बुडेन (प्रा०) लि० एवं अन्य (1988 ए०आई०आर० 2176) निर्णय, दिनांक 10.08.88, के मामले में उक्त सिद्धान्त के आधार पर पैरा-4 में दिये गये निर्णय के अंश को निम्नवत् उल्लेख किया जा रहा है :-

“ We are of the opinion that when no statutory definition is provided in respect of an item in this Customs Act or the Central Excise Act, this trade understanding, meaning there by the understanding in the opinion of those who deal the goods in question is the safest guide”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय को सर्वश्री सरीन कैमिकल लेबोरेटरीज बनाम कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स यू०पी० (ए०आई०आर० 1972 एस०सी० 65) में अनुमोदित करते हुए Common Parlance Test को वस्तुओं के वर्गीकरण के निर्धारण हेतु उचित माना है एवं इसी आधार पर प्रश्नगत वाद में दूध पावडर को Medicine न मानते हुए Article of Toilet माना गया है एवं इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री वैद्यनाथ आयुर्वेदिक भवन (प्रा०) लि० के मामले में भी लाल दन्त मन्जन को उक्त सिद्धान्त के आधार पर Article of Toilet माना गया है।

अतः सामान्य भाव एवं व्यवहार में उक्त वस्तुओं के परीक्षण पर यह स्पष्ट हो रहा है कि ये वस्तुएं प्रार्थी द्वारा दावा किये गये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-57 व 122 में वर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी में न आने के कारण Tulsi Ginger, Tulsi Sweet Rose, Tulsi Honey Chamomile एवं Wheat Grass पर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उक्त निर्णय की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई० टी० अनुभाग को प्रेषित की जाय।

दिनांक 16 जनवरी, 2015

ह० / 16.01.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।